

आम - सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि रानीखेत छावनी क्षेत्रान्तर्गत निम्न सम्पत्ति में दाखिल खारिज की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।


क्र० सं०	वर्तमान पट्टेधारक का नाम	उन व्यक्तियों का नाम जिनके नाम पर दाखिल खारिज की कार्यवाही की जानी है।	मकान संख्या एवं स्थल का नाम	सर्वे संख्या
1	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, अल्मोड़ा।	बैटनरी आफिसर ग्रेड-1, गवरमैन्ट बैटनरी हास्पिटल, रानीखेत।	बैटनरी हास्पिटल (न० - 34)	135/2
2	श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री सूरजमल	श्रीमती माया अग्रवाल पत्नी श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, श्री नवीन कुमार अग्रवाल, श्री आशीष कुमार अग्रवाल पुत्रगण स्व० श्री रमेश कुमार अग्रवाल	रेजीडेन्सियल एवं शॉप नं० 817	99/1/2

अतः यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्तानुसार दाखिल खारिज किये जाने में कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 30 दिवस भीतर अपनी लिखित आपत्ति मय साक्ष्यों के छावनी परिषद, कार्यालय में प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार न करते हुये दाखिल खारिज की कार्यवाही सम्पन्न कर दी जायेगी। यह नाम परिवर्तन कर भुगतान हेतु किया जा रहा है जिसका भूमि पर मालिकाना हक से कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि भूमि भारत सरकार की है।

अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय की वेबसाईट www.cbranikhet.org.in पर लॉगआन किया जा सकता है।

पत्रांक : 261/म्यूटेशन-एड/2019-20

दिनांक : सितम्बर, 2019


मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, रानीखेत।

प्रतिलिपि / Copy to :

1. पशु चिकित्साधिकारी, ग्रेड-1,
पशु चिकित्सालय, रानीखेत।
2. श्री नवीन चन्द्र अग्रवाल,
सर्वे संख्या 99/1/2, शिव मन्दिर मार्ग,
रानीखेत।

को इस आशय से सूचनार्थ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति समाचार पत्र में आपके खर्च पर प्रकाशित की जा रही है, जिसके भुगतान की सूचना आपको बाद में प्रेषित की जायेगी।